न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/6531/2006 /भीलवाड़ा

1– बदरीलल पुत्र माधू, जाति जाट, निवासी लाखोला, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

–अपीलांट

बनाम

1– रतनलाल पुत्र लालू जाट (डूडी) निवासी गूढ़ा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा ।

2– मु0 मोहनी बेवा छगना, जाति जाट, निवासी लाखोला, हाल निवासी जवासिया, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द ।

3– राजू पुत्र छगना, जाति जाट, नाबालिग जरिये वली माता श्रीमती मोहनी बेवा छगना, जाट, निवासी लाखोला, हाल निवासी जवासिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सहाड़ा मु0 गंगापुर, जिला भीलवाड़ा ।

–रेस्पोर्डेंटस

खण्डपीठ

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलार्थी ।

श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोर्डेंटस सं0 1.

अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः–04.05.2022

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाखोला तहसील सहाड़ा की आराजी खसरा संख्या 668 रकबा 0.01 है0, खसरा नंबर 669 रकबा 1.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 भूमि वादी संख्या 1 मृतक छगना के खातेदारी की आराजी है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उक्त आराजियात का आधे–आधे हिस्से के विभाजन की डिक्री पारित की जावे । प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का किसी प्रकार का सरोकार नहीं है और ना ही उक्त आराजियात पर उसका कब्जा काश्त है । अतः वाद खारिज किया जावे । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2004 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2004 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के न्यायालय में पेश की गई, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2006 द्वारा अपील खारिज करने के आदेश पारित किए । विद्वान उपखण्ड अधिकारी,

गंगापुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2004 एवं विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद में अपीलांट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र के सभी तथ्यों से इंकार कर अतिरिक्त कथन में यह अंकित किया था कि वादी के पक्ष में किसी प्रकार का विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया है और ना ही किसी प्रकार की विक्रय पत्र हेतु राशि अपीलांट के काका उदाराम द्वारा प्राप्त की गई है ना ही मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया है । इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है । विचारण न्यायालय ने उक्त आधारों पर बिना तनकियात विरचित किए आक्षेपित निर्णय से रेस्पो0 का वाद डिक्री की है जो आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों को अनदेखा कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलांट के काका उदाराम को आवश्यक पक्षकार होने की हैसियत से पक्षकार बनाया आवश्यक था । उदाराम द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने हेतु

निवेदन किया था किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना बिना वाद का निस्तारण सरसरी तौर बिना तनकियात कायम करने में विधिक त्रुटि कारित की है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तथाकथित बयनामा फर्जी है जो कि रहन की एवज में लिखा गया कथन था । रेस्पो0 द्वारा उदा को धोखे में रख कर उक्त रहन को विक्रय पत्र अनुसार लिखाया गया है, जबकि किसी प्रकार की राशि अपीलांट के काका उदा ने प्राप्त नहीं की थी एवं ना ही भूमि का कब्जा रेस्पो0 को सुपुर्द किया गया था । रेस्पो0 ने उक्त विक्रय पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्यों से साबित नहीं करवाया है । न्याय के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार विक्रय पत्र का रजिस्टर्ड होना ही पर्याप्त नहीं है वरन् रेस्पो0 को जहां अपीलांट द्वारा अपने लिखित कथन में स्पष्टतः फर्जी करार दिया गया हो एवं प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त विक्रय पत्र निष्पादित नहीं कर कब्जा नही दिये जाने का कथन किया हो तो अधी0न्याया0 को बिना साक्ष्य लिए वाद का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिये था । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी बाबत् रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर उक्त आराजी पर रिसिवर नियुक्त करने का निवेदन किया था जिस पर अधी0न्याया0 ने उक्त आराजी पर उदाराम पुत्र हांसू जाट का कबज बताया है जिसे माननीय सेशन न्यायालय, भीलवाड़ा कैम्प गंगापुर द्वारा उदा एवं अपीलांट का कब्जा मानते हुए धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही को निरस्त किया गया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने रेस्पो0 की निगरानी को खारिज कर बहाल रखा है । उक्त निर्णयों से स्पष्ट था कि विवादित आराजियात पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं है । इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने बिना कब्जे के वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के

समक्ष आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया था किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित किए बिना निर्णय व डिक्री पारित की है काबिल निरस्तनीय है । विवादित आराजी गैर मौरूसी संयुक्त परिवार की आराजियात है जिसके मूल खातेदार हांसू थे एवं हांसू के दो पुत्र माधू व उदयराम हुए । मौरूसी सम्पति होने से सभी सहखातेदारान का कब्जा अविभाजित आराजियात में प्रत्येक इंच पर होता है । उदयराम स्वंय द्वारा उक्त तथाकथित फर्जी विक्रयनामे से इंकार किया गया है तथाा बिना विभाजन के उक्त विक्रय पत्र तस्दीक कर कब्जा संभलाया जा सकता है । दोनों विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2004 एवं विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2006 निरस्त किये जावे ।

5– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंटस संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात के सहखातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे अपनी आराजियात के विभाजन की डिक्री प्राप्त करने का विधिक अधिकार है । यदि अपीलांट विक्रय पत्र को कूटरचित एवं फर्जी मानते है तो इन्हें उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाने की कार्यवाही करनी चाहिये थी । रेस्पो0 ने विवादित आराजियात जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय की है । जहां तक उदाराम को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 खारिज किए जाने के संबंध में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार

की कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये उक्त आदेश अंतिम है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांट की खारिज की है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया ।

7– वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के न्यायालय में बंटवारे का वाद इस आधार पर पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 668 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह एवं खसरा नंबर 669 रकबा 1.28 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 में वादी/रेस्पो0 का 1/2 हिस्सा है जिसका विधिवत् विभाजन किया जावे । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2059 से 1962 के अनुसार विवादित आराजियात के खातेदार छगना, बदरी पिता माधू 1/2 हिस्सा सा0देह तथा रतनलाल पिता लालू जाट 1/2 हिस्सा के खातेदार दर्ज है। उक्त जमाबंदी के इंद्राज से यह स्पष्ट है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होकर सहखातेदार दर्ज है । एक सहखातेदार अपने हिस्से का विधिक विभाजन करवाने का अधिकारी है । जहां तक विक्रय पत्र फर्जी अथवा कूटरचित होने का प्रश्न है इस संबंध में अपीलांट ने सक्षम न्यायालय से उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाने हेतु कोई चाराजोही नहीं की है ना ही उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के समक्ष इस संबंध में काउन्टर वाद ही पेश किया है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर ने जमाबंदी में दर्ज सहखातेदारों का उनके नाम दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन का वाद दिनांक 10.09.2004 को डिक्री किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त तथ्य को मध्यनजर रखते

हुए विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.09.2004 को यथावत् रखा है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

8– उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक10.09.2004 एवं विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14. को खाता सं02006 यथावत् रखे जाते है । तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो। तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जावे ।

10– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित) (रामदयाल मीणा)

सदस्य सदस्य